

न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज जिला सिरौही

कैम्प कोर्ट धुबाना पीठासीन अधिकारी भागीरथ राम, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण

राजेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति
राजपूत निवासी गलथनी (सुमेरपुर)
जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण

भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार शिवगंज

प्रार्थना पत्र सं.- 19/2021

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 03.12.2021

उपरोक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते जमाबंदी संवत् 2072-2075 मौजा बादला खाता संख्या 87 खसरा नम्बर 87/4 रकबा 4-00 बीघा प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है जिसमे काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ तथा खातेदारी भूमि मे मवेशी, टेक्टर, बैलगाडी को आने जाने के लिये राजस्व रेकर्ड मे कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी वर्तमान मे खाता संख्या 01 खसरा नम्बर 87/154 रकबा 100 बीघा किस्म खालखद्वर जो रेकर्ड मे राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज है। प्रार्थी खसरा नम्बर 87/154 रकबा 100 बीघा मे से नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से अकित ए से बी एव बी से सी स्थान होता हुआ 40 फीट चौड़ा रास्ता जो पूर्वजो समय से चलता आ रहा है तथा उक्त भूमि मे आने जाने हेतु कोई रास्ता विघतान नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा बादला के खसरा नम्बर 87/154 मे से प्रस्तु नजरी नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से अकित ए से बी से सी मे स्थित चौड़ा रास्ता दिलावे जिसकी राशि जमा कराने को तैयार हूँ जिसको नियमानुसार राजस्व रेकर्ड मे तरमीम कर मौके पर रास्ते के सीमा चिन्ह अकित कराने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 5.7.2021 को दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार शिवगंज को नोटिस तथा राजस्थान अभिघृति अधि. 1955 की धारा 251-क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत पत्र जारी किया गया। जो तामीली होकर प्राप्त।

पत्रावली दिनांक 3.12.2021 को प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 कोर्ट कैम्प धुबाना मे पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार शिवगंज ने राजस्थान अभिघृति अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 87/4 मे जाने का प्रस्तावित मार्ग हेतु जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा मे प्रार्थी को रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है यह केवल जोत के लिये ना की सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है। उपरोक्त खातेदारी मे प्रवेश करने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि मे जाने हेतु प्रस्तावित मार्ग 87/154 किस्म खालखद्वर मे से गुजरता जो राजकीय भूमि है जो रास्ता 9 मीटर चौड़ा एवं 76 मीटर लम्बा है जिसका क्षेत्रफल 684 वर्गमीटर अर्थात रकबा 0-09 बीघा होता है, जो निकटवर्ती सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 86 से जुड़ता है तथा लघुतम दुरी पर है। प्रस्तावित रास्ता मे कोई संरचनात्मक निर्माण नहीं है। प्रस्तावित रास्ता की जिला कमेटी दर 77112/- प्रति हैक्टर होने से कुल किमत 5773-/- बनने का पेश किया है। पेज संख्या दो

Lok adalat


उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरौही)

पेज संख्या दो

पत्रावली एवं तहसीलदार शिवगंज द्वारा रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में पेश जॉच रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी को खातेदारी भूमि में पहुंच तक अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने एवं रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता एवं जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं होने से तथा प्रस्तावित रास्ता भूमि राजस्व मार्ग से लघुतम एवं निकटवर्ती होने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा को अनुमोदित किया जाता है। निम्नांकित के आधार पर रास्ता भूमि की राशि अवधारित की गई।

राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उप नियम (1)के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरो या किसी नये मार्ग के खोलने या विद्यमान मार्ग के विस्तार या चौड़ा करने के मामले में, राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 कि उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दर का दुगुना : अथवा भूमि के बदलें भूमि (ख) उपनियम (1)के खण्ड (क)या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त, यदि खड़े वृक्ष फसल या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी। रास्ता भूमि ग्राम बादला की D.L.C-दर रु.77112/-प्रति हैक्टर -

खातेदार/अप्राथी का नाम	खसरा नम्बर	रास्ता भूमि रकबा	अवधारित दर	वसूली योग्य राशि
श्रीराजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज	87/154	0-09 बीघा	5773/-	11546/-
योग	1	0-09 बीघा	5773/-	11546/-

तहसीलदार शिवगंज को उक्त रास्ता भूमि की अवधारित वसूली योग्य राशि कुल 11546/- (रु. ग्याहरा हजार पाँच सौ छियालिस मात्र) प्रार्थी से वसूल कर सम्बन्धित मद में जमा कर संलग्न नजरी नक्शा में प्रदर्शित लाल स्याही से मार्क ए से बी व बी से सी अनुसार रास्ता भूमि को कम कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व नजरी नक्शा में श्री सरकार बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता खाते में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। आदेश दिनांक 3.12.2021 केम्प कोर्ट धुबाना में सुनाया गया पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

प्रतिलिपि:पालनार्थ:-
1. तहसीलदार शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज कोर्ट केम्प धुबाना
दिनांक 3.12.2021

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज कोर्ट केम्प धुबाना
शिवगंज (सिरोही)